पत्र संख्या-वा0अनु0/2025-26/ 136 /राज्य कर

प्रेषक,

आयुक्त, राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

अपर आयुक्त, राज्य कर, गौतमबुद्धनगर जोन, नोएडा,
समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, उ0प्र0,

**(वाद अनुभाग)** लखनऊ:: दिनांक:: 09 मई, 2025

**महोदय,**

कृपया संयुक्त आयुक्त (उच्च न्यायालय कार्य), राज्य कर, प्रयागराज के पत्र सं0- 618 दिनांक 03-05-2025 **(प्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न वादों में विशिष्ट (Specific) इंस्ट्रक्शन दाखिल करने के निर्देश दिये जाते हैं। ऐसे प्रकरणों में आवश्यक है कि सम्बन्धित अधिकारी न्यायालय के निर्देशानुसार तथ्यों पर आधारित पूर्णत: उत्तरदायी इंस्ट्रक्शन समय से दाखिल करें।

मा0 न्यायालय के निर्देशों के क्रम में प्रेषित किये जाने वाले वांछित इंस्ट्रक्शन निर्धारित समयावधि में एवं अपेक्षित गुणवत्ता के साथ प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं। न्यायालय द्वारा निर्देशित बिन्दुओं से इतर केवल सामान्य एवं संक्षिप्त इंस्ट्रक्शन दाखिल किये जा रहे है। न्यायालय द्वारा इस पर गंभीर आपत्ति व्यक्त करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि निर्देशों के अनुरूप इंस्ट्रक्शन दाखिल नहीं किया गया तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध स्ट्रिक्चर(Stricture)/कास्ट अवार्ड पारित करने की कार्यवाही की जायेगी।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपरोक्त से अवगत कराते हुए यह सुनिश्चित करायें कि मा0 न्यायालय के आदेशों को अत्यन्त गंभीरता से लें एवं ऐसे सभी प्रकरणों में, जहाँ मा0 न्यायालय द्वारा विशिष्ट (Specific) इंस्ट्रक्शन की मॉग की गयी हो वहाँ सम्बन्धित विषय पर तथ्यात्मक, विधिक एवं विवेचनात्मक इंस्ट्रक्शन तैयार करते हुए समय से उच्च न्यायालय कार्य, प्रयागराज/लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यह पत्र आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 के अनुमोदनोंपरान्त जारी किया जा रहा है।

**<u>संलग्नक-उपरोक्तनुसार।</u>**

भवदीय,

**(अमर नाथ यादव)**
अपर आयुक्त (विधि), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।**

**प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. अपर आयुक्त ग्रेड-1/2 (उ0न्या0कार्य), राज्य कर, प्रयागराज/लखनऊ।
2. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को विभागीय वेबसाइट पर समस्त अधिकारियों के सूचनार्थ प्रकाशित करने का कष्ट करें।

9.5.25

अपर आयुक्त (विधि), राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

**Office-Additional Commissioner Gr-1**
**Commercial Tax, Prayagraj**
**(High Court Works)**

राष्ट्र कर बाजार

कोर्ट केस / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

संयुक्त आयुक्त (उ0न्या0कार्य) राज्य कर,
प्रयागराज ।

सेवा में

अपर आयुक्त राज्य कर,
गौतमबुद्ध नगर जोन, गौतमबुद्ध नगर ।
समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांकः- /अपर आयुक्त ग्रेड-1 (उ0न्या0कार्य) रा0क0 प्रयागराज0- 03 मई 2025

विषयः- <u>न्यायालय के निर्देशानुसार वांछित इंस्ट्रक्शन समयबद्ध एवं यथोचित रूप से दाखिल किए जाने के संबंध में।</u>

महोदय

न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में Specific instructions दाखिल करने के निर्देश दिए जाते हैं । ऐसे प्रकरणों में आवश्यक है कि संबंधित अधिकारी न्यायालय के निर्देशानुसार तथ्यों पर आधारित पूर्णतः उत्तरदायी इंस्ट्रक्शन समय पर दाखिल करें।

किन्तु यह अत्यंत खेद का विषय है कि अनेक प्रकरणों में न्यायालय द्वारा वांछित इंस्ट्रक्शन, निर्धारित समयावधि में एवं अपेक्षित गुणवत्ता के साथ प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। न्यायालय द्वारा निर्देशित बिन्दुओं से इतर केवल सामान्य एवं सामान्यीकृत इंस्ट्रक्शन दाखिल किए जा रहे है। न्यायालय ने इस पर गंभीर आपत्ति व्यक्त करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि निर्देशों के अनुरूप इंस्ट्रक्शन प्रस्तुत नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध स्ट्रक्चर पारित करने एवं कास्ट आरोपित करने की कार्यवाही की जाएगी।

अतः यह अपेक्षित है कि सभी फील्ड अधिकारी न्यायालय के आदेशों को अत्यंत गंभीरता से लें एवं ऐसे सभी प्रकरणों में, जहां न्यायालय द्वारा Specific इंस्ट्रक्शन की मांग की गई हो, तथ्यों पर आधारित, यथोचित एवं विधिक दृष्टिकोण से उचित इंस्ट्रक्शन जिस बिन्दु पर अपेक्षित है, उसी बिन्दु पर तैयार कर निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व इस कार्यालय के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

( दिनेश कुमार वर्मा )
संयुक्त आयुक्त (उ0न्या0कार्य) राज्य कर,
प्रयागराज।

पृ0प0सं0- 618(1) / व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 आयुक्त (वाद अनुभाग) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि फील्ड के अधिकारियों को उक्त के संबंध में अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे मा0 न्यायालय के समक्ष समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करायी जा सकें ।

संयुक्त आयुक्त (उ0न्या0कार्य) राज्य कर,
प्रयागराज।